पत्रांक- 3745 (E) दिनांक- 31.5.18

पथ निर्माण विभाग

दिनांक–30.05.18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, खगड़िया के अन्तर्गत जमालपुर जी0एन0 बाँध से झौवा–बहियार–हरिणमार–अठसैहिया–गोगरी बाँध तक (कुल 14.90 पथांश लम्बाई) में पथ अनुरक्षण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2014–15 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

(ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

(iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

(iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–1161(अनु०) दिनांक 27.03.2018 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल, खगड़िया के अन्तर्गत जमालपुर जी0एन0 बाँध से झौवा–बहियार–हरिणमार–अठसैहिया–गोगरी बाँध तक (कुल 14.90 पथांश लम्बाई) में पथ अनुरक्षण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2014–15
2.2	एकरारनामा संख्या	:	03 CMBD of 2015-16
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹27,50,14,157.00
2.4	संवेदक का नाम	:	Sincon Infrastructure Pvt. Ltd.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :–	:	30.04.2015
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :–	:	29.12.2016
2.7	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	:	
2.8	समयवृद्धि की मांग	:	30.06.2018

3. **समयवृद्धि का कारणः–**

पूर्व में दिनांक 03.07.2017 तक समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा समर्पित थी, जिसके क्रम में विभागीय पत्रांक–799(ई0) दिनांक 05.02.2018 के द्वारा कार्य पूर्णता से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था। कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–193अनु0 दिनांक 08.03.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पूर्व में माँगी गई अवधि विस्तार दिनांक 03.07.2017 तक कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। उनके द्वारा दिनांक 30.06.2018 तक कार्य समाप्ति की प्रत्याशा में अवधि विस्तार हेतु स्वच्छ प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित कारण दर्शाए गए हैं :–

(i) **वर्षा के कारण पहुँच पथ जलमग्न होने के कारण कार्य में विलम्ब** :– पथ के प्रारम्भ बिन्दु (गोगरी जमालपुर side) पर BRPNNL द्वारा उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके कारण आवागमन हेतु उनके द्वारा एक डायवर्सन बनाया गया है। चूँकि पूरा पथ गंगा वेसिन में स्थित है जिसके कारण प्रतिवर्ष डायवर्सन जलमग्न होने के कारण क्रमशः दिनांक 15.08.2015 से 26.10.2015, दिनांक 15.07.2016 से 15.01.2017 तथा दिनांक 01.07.2017 से दिनांक 14.11.2017 तक कार्य बाधित रहा। साथ ही बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त पथांश में पुर्नस्थापन कार्य के कारण 60 दिन तक कार्य अवरूद्ध रहा। इस प्रकार कुल 452 दिनों तक कार्य अवरूद्ध रहा एवं इसकी अनुशंसा की गई है।

(ii) **प्रस्तावित भू–अर्जन के कारण कार्य प्रभावित होना** :– प्रस्तावित भू–अर्जन के कारण भू–अधिपत्य विभाग को प्राप्त नहीं होने के कारण ग्रामीणों द्वारा कार्य को रोकने के फलस्वरूप विभिन्न पथांश में कार्य दिनांक 30.04.2015 से 25.01.2018 तक कार्य बाधित रहा। संवेदक द्वारा दिनांक 30.06.2018 तक भू–अधिग्रहण होने की प्रत्याशा में दिनांक 30.06.2018 तक समयवृद्धि की माँग की गई है।

(iii) **बालू खनन पर रोक के कारण कार्य प्रभावित होना** :– बालू खनन पर रोक के चलते भी संवेदक द्वारा 14.11.2017 से 13.01.2018 तक कुल 60 दिनों के लिए कार्य बाधित होने की सूचना देते हुए समयवृद्धि की माँग की गई है।

4. **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णयः**

सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 30.06.2018 तक CMBD के अन्तर्गत समयवृद्धि स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की जाती है।

5. <u>विभागीय निविदा समिति का निर्णय</u> :–

5.1 मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–1161(अनु०) दिनांक 27.03.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरांत पथ प्रमंडल, खगड़िया के अन्तर्गत जमालपुर जी0एन0 बाँध से झौवा–बहियार–हरिणमार– अठसैहिया–गोगरी बाँध तक (कुल 14.90 पथांश लम्बाई) में पथ अनुरक्षण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2014–15 (03 CMBD of 2015-16) हेतु दिनांक–30.06.2018 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को **Price Escalation** का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का **Price Index/Rate** एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो **Price Neutralization** हेतु विस्तारित अवधि का **Price Index/Rate** लागू होगा।

समिति यह भी पाती है कि इस अवधि में कार्य प्रमंडलो के कार्यपालक अभियंताओं द्वारा सतत अनुश्रवण का अभाव रहा है, अतः उप सचिव (त०) स्पष्टीकरण पूछें।

(रामावतार साह)	(रजनीश कुमार)	(लक्ष्मी नारायण दास)	(अमृत लाल मीणा)
मुख्य अभियंता (या०),	उप सचिव	अभियंता प्रमुख–सह–अपर	प्रधान सचिव
उत्तर बिहार उपभाग	–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार	आयुक्त सह–विशेष सचिव	पथ निर्माण विभाग, पटना
पथ निर्माण विभाग, पटना	पथ निर्माण विभाग, पटना ।	पथ निर्माण विभाग, पटना ।	

ज्ञापांक–प्र०–7 / विविध (स०वृ०)–39 / 2017– 3745(ई) पटना, दिनांक 31/5/18

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना / अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल सहरसाँ / कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव